

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

M.C. No. 53(2021)
RBE No. 18 2021


No. D-43/14/2019-F(E)III

New Delhi, dated: 10.03.2021.

The General Managers,
All Indian Railways, Production Units,
Metro Railway, Calcutta and others.

Sub: Pension Scheme on Railways and Retirement Benefits on absorption in
Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies.


Please find enclosed herewith a copy of Master Circular No. 53 regarding
Pension and Retirement Death Gratuity for Railway Servants for information and
necessary action.



(G.Priya Sudarsani),
Director, Finance (Estt.),
Railway Board.

DA: as above.

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan.
6. The Secretary, RBSS, Group 'B' Officers Association.
7. The General Secretary, RBSSSA, Room No. 451-A, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV staff Association.
11. The Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
12. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan.
13. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi
14. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan.



For Secretary, Railway Board.

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

M.C. No. 53(2021)
RBE No. 18 2021

No. D-43/14/2019-F(E)III

New Delhi, dated: 10.03.2021.

To
The General Managers,
All Indian Railways, Production Units,
Metro Railway, Calcutta and others.

Pension rules are incorporated in the Indian Railway Establishment Code Vol. II (1985 edition) and the Manual of Railway Pension Rules (1993 edition). The manual embodies pension rules and orders as were issued from time to time in a self contained and readily understandable form. The manual however has not been updated after 1993 and during this period, large number of provisions have either become obsolete or have been substantially modified by issue of numerous orders. In view of this, a need has been felt for compiling some of the important instructions for the guidance of the staff dealing with the pension work in the form of Master Circulars.

2. 'Master Circular' enclosed with this letter brings out instructions on the following subjects.
- | | |
|--|--------|
| 1. Introduction of Pension Scheme on Railways and Pension options for the Railway employees who were governed by the PF Rules. | Part A |
| 2. General Rules on pensionary matters. | Part B |
| 3. Retirement benefits for the Railway employees permanently absorbed in Public Sector Undertakings. | Part C |
| 4. Guidelines for timely payment of retirement dues to the retiring employee and the families of the employee and the families of the employee who die while in service. | Part D |
3. The instructions contained in the original circulars referred to have only prospective effect from the date of issue unless indicated otherwise in the concerned circular. For dealing with old cases, the instructions in force at the relevant time should be referred to.
4. If any circular current on the subject has been lost sight of, the same should not be ignored and should be treated as valid and operative. References to the orders on the basis of which the above chapters have been framed are indicated against each item of the chapter.

G. Priya Sudarsani
(G.Priya Sudarsani),
Director, Finance (Estt.),
Railway Board.

Part A

Introduction of Pension Scheme on Railways and Pension options for the employees governed by Provident Fund Scheme.

1. Pension Scheme was introduced on the Railways on 16.11.57 effective from 01.04.57 vide Railway Board's letter No. F(E)/50/RTI/6 dated 16.11.57. All railway employees who entered in service on and after 16.11.57 are governed by the said Pension Scheme. The new Pension Scheme was practically an adoption of the provisions of the Railway Pension Rules 1950 promulgated as the "Liberalised Pension Rules, 1950" vide Railway Board's letter No. E48-CPC/208 dated 8th July 1950, as amended & clarified from time to time.

2. At the time of introduction of pension scheme on the Railways, pension option was also allowed to all those non-pensionable railway servants who were in service on 01.04.1957 or had joined railway service between 01.04.1957 and 16.11.1957 in preference to the Provident Fund Scheme by which they were governed. This option was open till 30.09.1959.

3. As a result of various improvement in the service conditions or implementation of the Pay Commission's recommendations etc. fresh options were again allowed to the staff to join the pension scheme as these improvements had bearing on the pensionary benefits. In all, 12 such options were allowed. The details of these orders are as under:-

Option No.	Letter No. and date	Option period	validity	Reasons for giving option
1.	i) F(E)50/RTI/6 dt. 16.11.1957 ii) F(P)58/PN1/6 dt. 07.03.1958 iii) F(P)58/PN1/6 dt. 19.06.1958 iv) F(P)58/PN1/6 dt. 24.12.1958 v) F(P)58/PN1/6 dt. 28.03.59	01.04.57 30.09.59	to	Introduction of pension scheme on Railways
2.	i) PC60/RB-2/2 dt. 17.09.60 ii) -do- 07.04.61 iii) -do- 02.11.61 iv) -do- 13.11.61	01.07.1959 31.12.1961	to	Merger of DA with Pay-Revised Pay Structure. (IInd Pay Commission Recommendations)
3.	F(P)62/PN1/2 dt. 26.10.62	01.09.1962 31.03.1963	to	Liberalisation of pensionary benefits

4.	F(P)63/PN1/40 dt. 17.01.64 & 04.07.1964	17.01.1964 to 16.07.1964	Introduction of Family Pension Scheme.
5.	F(P)65/PN1/41 dt. 03.03.1966, 27.04.1966, 26.05.1966	31.12.1965 to 30.06.66	In pursuance to the recommendation of JCM/NC.
6.	F(E)III68/PN1/2 dt. 13.09.1968 & 31.03.69	01.05.1968 to 31.03.69	-do-
7.	F(E)III71/PN1/3 dt. 15.07.72	15.07.72 to 21.10.72	
8.	PCIII/73/PN/3 dt. 23.07.74	01.01.1973 to 31.12.1978	IIIrd Pay Commission's recommendations – Restructuring of Cadres.
9.	F(E)III/79/PN1/4 dt. 23.08.1979 and dt. 01.09.80	31.03.79 to 22.02.81	Liberalization of Pension Formula.
10.	F(E)III/82/PN1/7 dt. 04.10.82, 09.11.82, 13.05.83, 02.06.83.	31.01.82 to 31.08.83	Merger of ADA with pay for retirement benefits.
11.	F(E)III/85/PN1/5 dt. 18.06.85	31.03.85 to 17.12.85	100% Merger of DA/ADA with pay for retirement benefits.
12.	PCIV/87/Imp/PN1 dt. 08.05.87	01.01.1986 to 30.09.1987	Implementation of IV Pay Commission Recommendations.

4. As per the last pension option order issued under Board's letter No. PCIV/87/Imp/PN1 dated 08.05.1987, CPF beneficiaries who were in service on 01.01.1986 and those who continued to be in service on the date of issue of the said order were, however, automatically deemed to have come over to the Pension Scheme unless they specifically opted to continue under the Contributory Provident Fund Scheme. The last date for such option was 30.09.87.

5. All pension option orders issued from time to time were made applicable retrospectively from the specified dates as mentioned in each order. The staff who had retired in the intervening period but were otherwise eligible to opt for the pension scheme were, therefore, also given the option to join the pension scheme by refunding the payment of settlement dues that they had received under the Contributory Provident Fund Scheme. Similarly, the families of the deceased employees who were eligible for these options were also allowed the option to join the pension scheme by refunding the payments they had received under the Provident Fund Scheme.

6. Apart from the twelve options given to the staff referred to above, the families of the deceased railway employees were also given the following option to opt for the Pension Scheme by issue of following separate orders.

1. F(E)III/72/PN1/3 dated 15.09.1972
2. F(E)III/72/PN1/19 dated 19.09.72 & 18.12.72
3. F(E)III/72/PN1/19 dated 07.04.75
4. F(E)III/79/PN1/4 dated 12.11.1979.

7. Besides the above orders, instructions were also issued under Board's letter No. F(E)III/68/PN1/37 dated 07.10.1970 and 16.07.1971 as per which the request from the families of the employees, who had retained the Provident Fund Scheme and were either killed or died as a result of injuries sustained in the due performance of their duties were also considered on merits for being allowed to join the pension scheme. Further, under Board's letter No. F(E)III/84/PN1/17 dated 16.07.85, families of railway employees who died in harness would also come over to the pension scheme.

General Rules

Part B

Retirement benefits under Pension Rules.

Amount of pension – (1) In the case of a railway servant retiring in accordance with the provisions of pension rules before completing qualifying service of ten years, the amount of service gratuity shall be calculated at the rate of half month's emoluments for every completed six-monthly period of service

(2) In the case of a railway servant retiring in accordance with the provisions of pension rules after completing the qualifying service of not less than ten years, the amount of pension shall be calculated at fifty per cent. of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of Nine thousand per mensem and a maximum of 1, 25, 000/- rupees per mensem.

(Authority for minimum pension:- Board's letter No. No. 2016/F(E)III/1(1)/8 dt.12.08.16)

Retirement gratuity or death gratuity – (1) (a) In the case of a railway servant, who has completed five years' qualifying service and has become eligible for service gratuity or pension under pension rule, shall, on his retirement, be granted retirement gratuity equal to one fourth of his emoluments for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of sixteen and one-half times the emoluments and there shall be no ceiling on reckonable emoluments for calculating the gratuity. (b) If a railway servant dies while in service, the amount of death gratuity shall be paid to the family in the manner indicated in the Table below:

Length of qualifying service	Rate of Death Gratuity
Less than one year	2 times of monthly emoluments
one year or more but less than 5 years	6 times of monthly emoluments
5 years or more but less than 11 years	12 times of monthly emoluments
11 years or more but less than 20 years	20 times of monthly emoluments
20 years or more	Half of emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times emoluments.

(iv) **Service Gratuity**- In the case of a railway servant retiring in accordance with the provisions of pension rules before completing qualifying service of ten years, the amount of service gratuity shall be calculated at the rate of half month's emoluments for every completed six-monthly period of service

Pension for Temporary employees.

Pensionary, terminal or death benefits to temporary railway servant. - A temporary railway servant who retires on superannuation or on being declared permanently incapacitated for further railway service by the appropriate medical authority after having rendered temporary service not less than ten years shall be eligible for grant of superannuation, invalid pension, retirement gratuity and family pension at the same scale as admissible to permanent railway servant under these rules.

Family Pension:-

where a railway servant dies,— (a) after completion of one year of continuous service; or

(b) before completion of one year of continuous service, provided the deceased railway servant concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by the appropriate medical authority and declared fit by that authority for railway service; or

(c) after retirement from service and was on the date of death in receipt of a pension, or compassionate allowance, the family of the deceased shall be entitled to family pension under the Family Pension Scheme for Railway Servants, 1964, the amount of which shall be determined at a uniform rate of thirty per cent. of basic pay. The upper ceiling on family pension will be 30% of the highest pay in the Government i.e. Rs. 2, 50, 000/- with effect from 01.01.2016.

Authority: Board's letter No. 2016/F(E)III/1(1)/8 dt.12.08.16.

Commutation of Pension

Limit on Commutation of Pension- (1) Subject to the provisions contained in Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993, a railway servant shall be entitled to commute for lump sum payment of an amount not exceeding forty percent of his pension

(Authorities: Railway Board's letter No. 2011/F(E)III/1(2)/13 dated 14.01.03

Restoration of commuted pension- The commuted amount of pension shall be restored on completion of fifteen years from the date the reduction of pension on account of commutation becomes operative.

(Authorities: Railway Board's letter No. 2011/F(E)III/1(2)/13 dated 14.01.03)

A pensioner who has commuted a portion of his pension and on 01.04.1985 or thereafter completed or will complete 15 years from his respective date of retirement will have his commuted portion of pension restored.

Commencement of qualifying service- Subject to the provisions of pension rules, qualifying service of a railway servant shall commence from the date he takes charge of

the post to which he is first appointed either substantively or in an officiating or temporary capacity:

Emoluments: - The expression - (a) "emoluments", for the purpose of calculating various retirement and death benefits, means the basic pay as defined in clause (i) of rule 1303 of the Code which a railway servant was receiving immediately before his retirement or on the date of his death:

Provided that the stagnation increment shall be treated as emolument for calculation of retirement benefits;

(b) "pay" in these rules means the pay in the revised scales under the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016.

Average emoluments-Average emoluments shall be determined with reference to the emoluments drawn by a railway servant during the last ten months of his service.

No pensionary benefits are admissible to a railway servant who is dismissed or is removed or resigns from the railway service.

(Authority: Letter No. F(E)III/77/PN1/11 dt. 05.08.77)

The authority competent to dismiss or remove a railway servant may, if the case is deserving of special consideration as per the laid down norms, sanction a Compassionate Allowance not exceeding 2/3rd of pension or gratuity or both which would have been admissible to him if he had retired on Compensation Pension.

A railway servant compulsorily retired from the service as a penalty may be granted by the authority competent to impose such a penalty pension or gratuity or both at a rate not less than 2/3rd and not more than full Compensation Pension (earliest Invalid Pension) or gratuity or both admissible to him on the date of his compulsory retirement.

Recovery and adjustment of Government or railway dues from pensionary benefits- (1) For the dues other than the dues pertaining to occupation of Government or Railway accommodation, the Head of Office shall take steps to assess the dues "one year" before the date on which a railway servant is due to retire on superannuation.

(1A) The assessment of Government or Railway dues as above shall be completed by the Head of Office eight months prior to the date of retirement of the railway servant.

(Authority: File No. 2015/F(E)III/1(1)/4 dt.17.06.16)

(2) The railway or Government dues as ascertained and assessed, which remain outstanding till the date of retirement or death of the railway servant, shall be adjusted against the amount of the retirement gratuity or death gratuity or terminal gratuity and recovery of the dues against the retiring railway servant shall be regulated in accordance with the provisions of (4) below.

(3) For the purposes of this rule, the expression "railway or Government dues" includes-

(a) dues pertaining to railway or Government accommodation including arrears of license fee, as well as damages (for the occupation of the Railway or Government accommodation beyond the permissible period after the date of retirement of allottee), if any;

(Authority: Railway Board letter No. F(E)III/2010/PNI/4 dated 28.03.12)

(b) dues other than those pertaining to railway or Government accommodation, namely balance of house-building or conveyance or any other advance, overpayment of pay and allowances, leave salary or other dues such as Post Office or Life Insurance premia, losses (including short collection in freight charges shortage in stores) caused to the Government or the railway as a result of negligence or fraud on the part of the railway servant while he was in service.

(4) (i) A claim against the railway servant may be on account of all or any of the following: -

(a) losses (including short collection in freight charges, shortage in stores) caused to the Government or the railway as a result of negligence or fraud on the part of the railway servant while he was in service;

(b) other Government dues such as over-payment on account of pay and allowances or other dues such as house rent, Post Office or Life Insurance Premia, or outstanding advance

(c) non-Government dues.

(ii) Recovery of losses specified in (a) of (i) above shall be made subject to the conditions laid down in rule 8 being satisfied from recurring pensions and also commuted value thereof, which are governed by the Pension Act, 1871 (23 of 1871). A recovery on account of item (a) of (i) above which cannot be made in terms of pension rule, and any recovery on account of items (b) and (c) of (i) above that cannot be made from these even with the consent of the railway servant, the same shall be recovered from retirement, death, terminal or service gratuity which are not subject to the Pensions Act, 1871 (23 of 1871). It is permissible to make recovery of Government dues from the retirement, death, terminal or service gratuity even without obtaining his consent, or without obtaining the consent of the member of his family in the case of a deceased railway servant.

(iii) Sanction to pensionary benefits shall not be delayed pending recovery of any outstanding Government dues. If at the time of sanction, any dues remain unassessed or unrealised the following courses should be adopted: -

(a) In respect of the dues as mentioned in (a) of (i) above. A suitable cash deposit may be taken from the railway servant or only such portion of the gratuity as may be

considered sufficient, may be held over till the outstanding dues are assessed and adjusted.

(b) In respect of the dues as mentioned in (b) of (i) above-

(1) The retiring railway servant may be asked to furnish a surety of a suitable permanent railway servant. If the surety furnished by him is found acceptable, the payment of his pension or gratuity or his last claim for pay, etc. should not be withheld and the surety shall sign a bond in Form 2.

(2) If the retiring railway servant is unable or not willing to furnish a surety, then action shall be taken as specified in (iii) above.

(3) The authority-sanctioning pension in each case shall be competent to accept the surety bond in Form 2 on behalf of the President.

(c) In respect of the dues as mentioned in (c) of (i) above. The Quasi- Government and non-Government dues, such as amounts payable by a railway servant to Consumer Cooperative Societies, Consumer Credit Societies or the dues payable to an autonomous organisation by a railway servant while on deputation may be recovered from the retirement gratuity which has become payable to the retiring railway servant provided he gives his consent for doing so in writing to the administration.

(iv) In all cases referred to in (a) and (b) of (i) above of 4 above, the amounts which the retiring railway servants are required to deposit or those which are withheld from the gratuity payable to them shall not be disproportionately large and that such amounts are not withheld or the sureties furnished are not bound over for unduly long periods. To achieve this the following principles should be observed by all the concerned authorities:-

(a) The cash deposit to be taken or the amount of gratuity to be withheld should not exceed the estimated amount of the outstanding dues plus twenty-five per centum thereof.

(b) Dues mentioned in (i) of 4 above should be assessed and adjusted within a period of three months from the date of retirement of the railway servant concerned.

(c) Steps should be taken to see that there is no loss to Government on account of negligence on the part of the officials concerned while intimating and processing of a demand. The officials concerned shall be liable to disciplinary action in not assessing the Government dues in time and the question whether the recovery of the irrecoverable amount shall be waived or the recovery made from the officials held responsible for not assessing the Government dues in time should be considered on merits.

(d) As soon as proceedings of the nature referred to in pension rule are instituted, the authority which instituted the proceedings should without delay intimate the fact to the Account Officer.

Part 'C'

Retirement benefits for railway employees absorbed in Public Sector Undertakings.

Pension on absorption in or under a corporation, company or body-

(1) A railway servant who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a body controlled or financed by the Central Government or a State Government shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption and subject to (3) below, he shall be eligible to receive retirement benefits, if any, from such date as may be determined, in accordance with the orders of the Railway applicable to him.

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)III/2003/PN1/25 dated 20.01.05)

Explanation: - Date of absorption shall be-

- (i) In case a railway employee joins a corporation or company or body on immediate absorption basis, the date on which he actually joins that corporation or company or body;
- (ii) In case a railway employee initially joins a corporation or company or body on foreign service terms by retaining a lien under the railways, the date from which his unqualified resignation is accepted by the railways.

(2) The provisions of (1) shall also apply to a railway servant who is permitted to be absorbed in joint sector undertakings, wholly under the joint control of Central Government and State Governments/Union Territory Administrations or under the joint control of two or more State Governments/Union Territory Administrations or under the joint control of two or more State Governments or Union Territory Administrations.

(3) Where there is a pension scheme in a body controlled or financed by the Central Government in which a railway servant is absorbed, he shall be entitled to exercise option either to count the service rendered under the railways in that body for pension or to receive retirement benefit for the service rendered under the railways in accordance with the orders issued by the railways.

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F (E) III/1(1)9 dated 23.09.13)

Explanation: - Body means autonomous body or statutory body.

- (A) Clarification was issued that resignation from railway service with a view to join Public Sector Undertaking shall be treated as good and sufficient from the point of view of administration to claim retirement benefits.

(Authority: F(E)III/66/PN1/25 dated 21.09.66)

- (B) Absorbed railway servant in the event of his resignation within two years from the date of his absorption was required to obtain approval of the Government before he could take up any private employment.

(Authority: F(P)/67/PN1/18 dated 18.02.1970)

- (C) The amount of commutation of pension of a portion of pension upto a maximum of one third was exempted from income tax payable the absorbed railway servant. Those who opted for lumpsum payment in lieu of pension, the lumpsum payment was treated as two components
- (i) The commuted value upto the normal limit of one third of pension and
 - (ii) Terminal benefit equal to $2/3^{\text{rd}}$ of pension from income tax, the terminal benefit component was chargeable to recipient was allowed to spread this amount evenly over the preceding three years for levy of income tax.

- (D) Resignation with a view to absorption in Public Sector Undertaking was treated as deemed retirement. The amount of DCRG payable to the absorbed employee was exempted from income tax.

(Authority: F(P)/67/PN1/18 dated 10.09.1971)

- (E) With effect from 21.06.67 the benefit of Family Pension Scheme, 1964 as incorporated in the Railway Pension Rules was allowed to the absorbed employee provided he was governed by the Pension Rules and was otherwise eligible for pension on the date of his absorption. This was not allowed to a railway servant who was eligible only for service gratuity in lieu of pension. The benefit of family pension under the Public Sector Undertaking was not admissible or the absorbed employee was not covered under the Family Pension Scheme of the Enterprise for one reason or the other.

Authority: F(E)III/75/PN1/15 dated 29.01.76

F(E)III/78/PN1/18 dated 24.08.78

F(E)III/85/PN1/25 dated 26.12.85

- (F) The absorbed railway servant was allowed option either to get the family pension from the Railways or from the Public Sector Undertaking subject to fulfillment of specified conditions.

(Authority: F(E)III90/PN1/8 dated 21.02.1990 & 25.06.1992)

- (G) Permanent Railway employees, deputed to Public Sector Undertaking/Autonomous Bodies/Joint Sector Undertaking under the control of

State Government and subsequently absorbed permanently in such organizations with the prior permission of the competent authority, allowed w.e.f. 09.01.94 pro-rata retirement benefits as admissible to permanent Railway employees absorbed permanently under the Autonomous Bodies controlled by the Central Government.

W.e.f. 31.03.87, Railway employees are required to join Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies/Joint Sector Undertakings under the control of State Government on immediate absorption basis.

(Authority: F(E)III/84/PN1/5 dated 25.06.84
& F(E)III/92/PN1/25 dated 16.03.93)

(H) Retirement benefits to a Railway servant who had applied on his own volition on the basis of his application in response to Press advertisement for posts in Public Sector Undertakings and Autonomous Bodies was also allowed the payment of retirement benefits as allowed to those who were permanently absorbed after deputation in public interest.

(Authority: E(NG)/72/AP/12 dated 02.08.1972
E(NG)II/73/AP/11 dated 05.12.1975
E(NG)II 77/AP/19 dated 24.05.1978)

Conditions for payment of pension on absorption consequent upon conversion of a Railway Department into a public sector undertaking.—

- (1) On conversion of a Department of the Railway into a public sector undertaking, all railway servants of that Department shall be transferred en-masse to that public sector undertaking, on terms of foreign service without any deputation allowance till such time as they get absorbed in the said undertaking, and such transferred railway servants shall be absorbed in the public sector undertaking with effect from such date as may be notified by the Government.
- (2) The Government shall allow the transferred railway servants an option to revert back to the railway or to seek permanent absorption in the public sector undertaking.
- (3) The option referred to in (2) above shall be exercised by every transferred railway servant in such manner and within such period as may be specified by the Government.
- (4) The permanent absorption of the railway servants as employees of the public sector undertaking shall take effect from the date on which their options are accepted by the Government and on and from the date of such acceptance, such employees shall cease to be Government servants and they shall be deemed to have retired from railway service.
- (5) Upon absorption of railway servants in the public sector undertaking, the posts which they were holding in the Government before such absorption shall stand abolished.
- (6) The employees who opt to revert to railway service shall be redeployed through the surplus cell of the Government.
- (7) The employees including quasi-permanent and temporary employees but excluding casual labourers, who opt for permanent absorption in the public sector undertaking shall, on and from the date of absorption, be governed by the rules and regulations or bye-laws of the public sector undertaking.
- (8) A permanent railway servant who has been absorbed as an employee of a public sector undertaking his family shall be eligible for pensionary benefits (including commutation of pension, gratuity, family pension or extraordinary pension), on the basis of combined service rendered by the employee in the Railways and in the public sector undertaking in accordance with the formula for calculation of such pensionary benefits as may be in force at the time of his retirement from the public sector undertaking or his death or at his option, to receive benefits for the service rendered under the Railways in accordance with the orders issued by the Government.

Explanation:- The amount of pension or family pension in respect of the absorbed employee on retirement from the public sector undertaking or on death shall be calculated in the same way as calculated in the case of a railway servant retiring or dying on the same day.

- (9) The pension of an employee under (8) above shall be calculated on fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him.
- (10) In addition to pension or family pension, as the case may be, the employee who opts for pension on the basis of combined service shall also be eligible to dearness relief as per industrial dearness allowance pattern.
- (11) The benefits of pension and family pension shall be available to quasi-permanent and temporary transferred railway servants after they have been confirmed in the public sector undertaking.
- (12) A permanent railway servant absorbed in a public sector undertaking or a temporary or quasi-permanent railway servant who has been confirmed in a public sector undertaking subsequent to his absorption therein, shall be eligible to seek voluntary retirement after completing ten years of qualifying service with the Government and the public sector undertaking taken together, and such person shall be eligible for pensionary benefits on the basis of qualifying service.
- (13) The Government shall create a pension fund in the form of a trust and the pensionary benefits of absorbed employees shall be paid out of such pension fund.
- (14) The Member Staff, Railway Board shall be the Chairperson of the Board of Trustees which shall include representatives of the Ministries of Finance, Personnel, Public Grievances and Pensions, Labour, concerned public sector undertaking and their employees and experts in the relevant field to be nominated by the Government.
- (15) The procedure and the manner in which pensionary benefits are to be sanctioned and disbursed from the pension fund shall be determined by the Government on the recommendations of the board of trustees.
- (16) The Government shall discharge its pensionary liability by paying in lump sum as a one time payment to the pension fund the pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered till the date of absorption of the railway servant in the public sector undertaking.
- (17) The manner of sharing the financial liability on account of payment of pensionary benefits by the public sector undertaking shall be determined by the Government.
- (18) Lump sum amount of the pension shall be determined in accordance with the Table of the values in Appendix to the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.
- (19) The public sector undertaking shall make pensionary contribution to the pension fund for the period of service to be rendered by the concerned employees under that undertaking at the rates as may be determined by the board of trustees so that the pension fund shall be self supporting.

(20) If, for any financial or operational reason, the trust is unable to discharge its liabilities fully from the Pension Fund and the public sector undertaking is also not in a position to meet the shortfall, the Government shall be liable to meet such expenditure and such expenditure shall be debited to either the fund or to the public sector undertaking.

(21) Payments of pensionary benefits of the pensioners of a railway Department on the date of conversion of it into a public sector undertaking shall continue to be the responsibility of the Government and the mechanism for sharing its liabilities on this account shall be determined by the Government.

(22) Upon conversion of a Railway Department into a public sector undertaking,—

(a) the balance of provident fund standing at the credit of the absorbed employees on the date of their absorption in the public sector undertaking shall with the consent of such undertaking, be transferred to the new provident fund account of the employees in such undertaking;

(b) earned leave and half pay leave at the credit of the employees on the date of absorption shall stand transferred to such undertaking; (c) the dismissal or removal from service of the public sector undertaking of any employee after his absorption in such undertaking for any subsequent misconduct shall not amount to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Railways and in the event of his dismissal or removal or retrenchment, the decisions of the undertaking shall be subject to review by the Ministry of Railways with the undertaking.

(23) In case the Government disinvests its equity in any public sector undertaking to the extent of fifty-one per cent or more, it shall specify adequate safeguards for protecting the interest of the absorbed employees of such public sector undertaking.

(24) The safeguards specified under (23) above shall include option for voluntary retirement or continued service in the undertaking or voluntary retirement benefits on terms applicable to railway servants or employees of the public sector undertaking as per option of the employees and assured payment of earned pensionary benefits with relaxation in period of qualifying service, as may be decided by the Government.

Conditions for payment of pension on absorption consequent upon conversion of a Railway Department into a Central autonomous body, -

(1) On conversion of a Department of the Railway into an autonomous body, all railway servants of that Department shall be transferred en-masse to that autonomous body on terms of foreign service without any deputation allowance till such time as they get absorbed in the said body and such transferred railway servants shall be absorbed in the autonomous body with effect from such date as may be notified by the Government.

(2) The Government shall allow the transferred railway servants an option to revert back to the Government or to seek permanent absorption in the autonomous body.

(3) The option referred to in (2) above shall be exercised by every transferred railway servant in such manner and within such period as may be specified by the Government.

(4) The permanent absorption of the railway servants of the autonomous body shall take effect from the date on which their options are accepted by the Government and on and from the date of such acceptance, such employees shall cease to be railway servants and they shall be deemed to have retired from railway service.

(5) Upon absorption of railway servants in the autonomous body, the posts which they were holding in the Government before such absorption shall stand abolished.

(6) The employees who opt to revert to railway service shall be redeployed through the surplus cell of the Government.

(7) The employees including quasi-permanent and temporary employees but excluding casual labourers, who opt for permanent absorption in the autonomous body, shall on and from the date of absorption, be governed by the rules and regulations or bye-laws of the autonomous body.

(8) A permanent railway servant who has been absorbed as an employee of an autonomous body and his family shall be eligible for pensionary benefits (including commutation of pension, gratuity, family pension or extra-ordinary pension), on the basis of combined service rendered by him in the Railways and autonomous body in accordance with the formula for calculation of such pensionary benefits as may be in force at the time of his retirement from the autonomous body or death or at his option, to receive benefits for the service rendered under the Railways in accordance with the orders issued by the Government.

Explanation:- The amount of pension or family pension in respect of the absorbed employee on retirement from autonomous body or death shall be calculated in the same way as would be the case with a railway servant retiring or dying on the same day.

(9) The pension of an employee under (8) above shall be calculated at fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him.

(10) In addition to pension or family pension, as the case may be, the absorbed employees who opt for pension on the basis of combined service shall also be eligible to dearness relief as per central dearness allowance pattern.

(11) The benefits of pension and family pension shall be available to quasi- permanent and temporary transferred railway servants after they have been confirmed in the autonomous body.

(12) The Government shall create a pension fund in the form of a trust and the pensionary benefits of absorbed employees shall be paid out of such pension fund.

(13) The Member Staff, Railway Board shall be the Chairperson of the board of trustees which shall include representatives of the Ministries of Finance, Personnel, Public

Grievances and Pensions, Labour, concerned autonomous body and their employees and experts in the relevant field to be nominated by the Government.

(14) The procedure and the manner in which pensionary benefits are to be sanctioned and disbursed from the pension fund shall be determined by the Government on the recommendations of the board of trustees.

(15) The Government shall discharge its pensionary liability by paying in lump sum as a one time payment to the pension fund the pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered till the date of absorption of the railway servant in the autonomous body.

(16) The manner of sharing the financial liability on account of payment of pensionary benefits by the autonomous body shall be determined by the Government.

(17) Lump sum amount of the pension shall be determined in accordance with the Table of the values in Appendix to the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

(18) The autonomous body shall make pensionary contribution to the pension fund for the period of service to be rendered by the concerned employees under that body at the rates as may be determined by the Board of Trustees so that the pension fund shall be self-supporting.

(19) If, for any financial operational reason, the trust is unable to discharge its liabilities fully from the pension fund and the autonomous body is also not in a position to meet the shortfall, the Government shall be liable to meet such expenditure and such expenditure shall be debited to either the fund or to the autonomous body, as the case may be.

(20) Payments of pensionary benefits of the pensioners of a Railway Department on the date of conversion of it into an autonomous body shall continue to be the responsibility of the Government and the mechanism for sharing its liabilities on this account shall be determined by the Government.

(21) Upon conversion of a Department of the Railway into an autonomous body.—

(a) the balance of provident fund standing at the credit of the absorbed employees on the date of their absorption in the autonomous body shall, with the consent of such body, be transferred to the new provident fund account of the employees in such body;

(b) earned leave and half pay leave at the credit of the employees on the date of absorption shall stand transferred to such body;

(c) the dismissal or removal from service of the autonomous body of any employee after his absorption in such body for any subsequent misconduct shall not amount to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Railways and in the event of

his dismissal or removal or retrenchment, the decisions of the body shall be subject to review by the Ministry of Railways.

(22) In case the Government disinvests its equity in any autonomous body to the extent of fifty-one per cent. or more, it shall specify adequate safeguards for protecting the interest of the absorbed employees of such autonomous body.

(23) The safeguards specified under (22) above shall include option for voluntary retirement or continued service in the body, as the case may be or voluntary retirement benefits on terms applicable to railway employees or employees of the autonomous body as per option of the employees, assured payment of earned pensionary benefits with relaxation in period of qualifying service, as may be decided by the Government.”.

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F (E) III/1(1)9dated 23.09.13)

- (l) The benefit of pro rata retirement benefits between Railways and Central Autonomous bodies is governed by the same sets of orders as are applicable for absorption of a railway servant in Public Sector Undertakings. As per the extant provisions, service rendered outside Central Government did not count for pension on Railways except in the case of scientific employees of autonomous bodies who are allowed the benefit of counting of service for pension on the Railways with effect from 29.08.84, Government decided to allow the benefit of counting of service for retirement benefits between Railways and the Central Autonomous Bodies and vice versa.

(Authority: F(E)III/84/PN1/4 dated 25.09.84, 08.04.85)

Orders and procedure to be followed for timely payment of pensionary benefits to the retiring railway employee.

Delay in sanction of the payment of pensionary benefits involves hardship to the retiring employee. It is therefore imperative that the authorities dealing with the applications for pensionary benefits should act expeditiously so that the beneficiary receives his dues on due date. When delay is anticipated in sanction, the retiring employee may be granted provisional pension/gratuity or family pension/death gratuity, as the case may be on the basis of the information available with the head of the Office or the Railway Servant. Detailed procedure to deal with such cases as well as the procedure to be followed for sanctioning the pensionary benefits in time as issued from time to time are as under:-

- I) F(E)III/76/PN1/3 dt. 08.04.76
- II) F(E)III/76/PN1/3 dt. 15.10.76
- III) E(G)/76/PN1/25 dt. 19.11.76
- IV) F(E)III/79/PN1/3 dt. 01.09.1979
- V) F(E)III/87/PN1/2 dt. 06.03.1987
- VI) F(E)III/87/PN1/2 dt. 19.08.87

2. Order dated 08.04.1976 prescribes the time table to commence the work of preparing pension paper for payment of superannuation pension, procedure for determining qualifying service, average emoluments, treatment of extraordinary leave, period of suspension, break in service, period of deputation/foreign service dispensation of the requirement of administrative sanction to grant pension, procedure for payment of provisional pension where service records are not available, adjustment of government dues etc. Similarly orders dated 01.09.1979 prescribes details for finalising cases to grant pensionary benefits to the families of employees who die while in service.

3. In all cases, efforts are made to assess and adjust the recoverable dues within a period of 3 months from the date of retirement of Railway servant concerned. In any case, it is to be presumed that there is no claim against a Railway servant if none is made after his retirement within 15 months – if commercial debits are involved, and 6 months, if commercial debits are not involved.

In the case of retiring commercial staff, the limit of 15 months has been reduced to 6 months for payment of gratuity w.e.f. 01.08.88 which has further been reduced to 3 months w.e.f. 30.12.91.

(Para 323 (iv) (b) of MRPR and Board's letter No. F(E)III/87/PN1/1 dated 17.11.87 & 30.12.91)

4. Cases of Railway Servants whose retirement occurs ahead of superannuation, the procedure for making payment of pensionary benefits in such cases is detailed Board's letter No. E(G)/76/PN1/25 dated 19.11.76.

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड)(Railway Board)

मास्टर परिपत्र सं. 53 (2021)

आरबीई सं. 18 2021

नई दिल्ली, दिनांक: 10.03.2021

सं. डी-43/14/2019-एफ(ई)III

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां,
मेट्रो रेलवे, कोलकाता एवं अन्य।

विषय : रेलों पर पेंशन योजना तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकायों में आमेलन होने पर सेवानिवृत्ति लाभ।

कृपया रेल सेवकों के लिए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति मृत्यु उपदान के संबंध में मास्टर परिपत्र सं. 53 की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

जी. प्रिया सुदर्सनी

(जी. प्रिया सुदर्सनी)
निदेशक, वित्त(स्था)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक : यथोक्त

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सेक्रेटरी, आरबीएसएस, समूह "क" अधिकारी संघ, कमरा सं. 402, रेल भवन।
6. सेक्रेटरी, आरबीएसएस, समूह "ख" अधिकारी संघ।
7. जनरल सेक्रेटरी, आरबीएसएसएसए, कमरा सं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड लिपिकीय कर्मचारी संघ।
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड क्लास-IV कर्मचारी संघ।
11. सेक्रेटरी जनरल, अखिल भारतीय रेसुबल संघ, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
12. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी अधिकारी संघ, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी संघ, कमरा सं. 7, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय ओ.बी.सी. रेल कर्मचारी फेडरेशन (एआईओबीसीआरईएफ), कमरा सं. 48, रेल भवन।

नवीन
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड)(Railway Board)

मास्टर परिपत्र सं. 53 (2021)
आरबीई सं. 18 2021

सं. डी-43/14/2019-एफ(ई)III

नई दिल्ली, दिनांक: 03.03.2021

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां,
मेट्रो रेल, कोलकाता एवं अन्य।

पेंशन नियम भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-II (1985 संस्करण) और रेल पेंशन नियमावली (1993 संस्करण) में समाविष्ट हैं। नियमावली में समय-समय पर जारी पेंशन नियमों और आदेशों को स्वतः स्पष्ट और सहज बोधगम्य रूप में शामिल किया गया है। तथापि, नियमावली को 1993 के बाद अद्यतन नहीं किया गया है और इस अवधि के दौरान अधिकतर उपबंध या तो अप्रचलित हो गए हैं या काफी संख्या में आदेश जारी करके उनमें आमूल परिवर्तन कर दिए गए हैं। इस दृष्टि से, यह जरूरत महसूस की गई है कि पेंशन संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए कुछ अधिक महत्वपूर्ण अनुदेशों को मास्टर परिपत्र के रूप में संकलित किया जाए।

2. इस पत्र के साथ संलग्न मास्टर परिपत्र सं. I में निम्नलिखित विषयों के संबंध में अनुदेशों का उल्लेख है :-

1. रेलों पर पेंशन योजना लागू करना और भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित रेल कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प। भाग क
 2. पेंशन संबंधी मामलों पर सामान्य नियम। भाग ख
 3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से आमेलित रेल कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ। भाग ग
 4. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को और सेवा अवधि के दौरान दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के परिवारों को देय रकमों के समय पर भुगतान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। भाग घ
3. उपर्युक्त मूल परिपत्रों में निहित अनुदेश केवल इनके जारी होने की तारीख से भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू हैं बशर्ते कि संबंधित परिपत्रों में अन्यथा उल्लेख न हों। पुराने मामलों पर कार्रवाई संबद्ध समय पर लागू अनुदेशों के अनुसार की जानी चाहिए।

4. यदि इस विषय का कोई परिपत्र ध्यान से उतर गया हो तो उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए वरन् इसे वैध तथा प्रभावी समझा जाना चाहिए। उपर्युक्त अध्याय जिस आदेश के संदर्भ में तैयार किए गए हैं, उन्हें अध्याय की प्रत्येक मद के सामने दर्शाया गया है।

जी. प्रिया सुदर्सनी

(जी. प्रिया सुदर्सनी)
निदेशक, वित्त (स्था),
रेलवे बोर्ड

रेलों पर पेंशन योजना शुरू करना और भविष्य निधि योजना द्वारा शासित कर्मचारियों के लिए पेंशन के विकल्प।

1. रेलों पर पेंशन योजना 16.11.57 को शुरू हुई थी और यह रेलवे बोर्ड के दिनांक 16.11.1957 के पत्र सं. एफ(ई)/50/आरटीआई/6 के द्वारा 01.04.1957 से लागू की गई थी। सभी रेल कर्मचारी, जो 16.11.1957 को और उसके बाद रेल सेवा में आए, उक्त पेंशन योजना द्वारा शासित हैं। यह नई पेंशन योजना विशेषकर रेलवे बोर्ड के दिनांक 8 जुलाई, 1950 के पत्र संख्या ई48 -सीपीसी/208 के द्वारा लागू उदारीकृत पेंशन नियम, 1950 के रूप में प्रख्यापित तथा समय-समय पर यथासंशोधित और रेल पेंशन नियम, 1950 के उपबंधों का अंगीकरण है।
2. रेलों पर पेंशन योजना शुरू करते समय पेंशन का विकल्प अधिमान स्वरूप भविष्य निधि योजना द्वारा शासित उन सभी गैर-पेंशन भोगी रेल कर्मचारियों को भी दिया गया था जो 01.04.1957 को सेवा में थे अथवा जो 01.04.1957 और 16.11.1957 के बीच रेल सेवा में आए थे। यह विकल्प 30.9.1959 तक खुला था।
3. सेवा शर्तों में विभिन्न संशोधनों या वेतन आयोग की सिफारिशों आदि के फलस्वरूप, कर्मचारियों को पेंशन योजना में शामिल होने के लिए नए सिरे से पेंशन का विकल्प देने की अनुमति दी गई थी क्योंकि इन संशोधनों में पेंशन संबंधी लाभ निहित थे। ऐसे कुल 12 विकल्पों की अनुमति दी गई थी। इन विकल्पों के आदेशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

विकल्प सं.	पत्र सं. एवं तारीख	विकल्प देने की वैधता अवधि	विकल्प देने के कारण
1.	i) एफ(ई)50/आरटीआई/6 दिनांक 16.11.1957 ii) एफ(पी) 58/पीएन1/6 दिनांक 07.03.1958 iii) एफ(पी) 58/पीएन1/6 दिनांक 19.06.1958 iv) एफ(पी)58/पीएन1/6 दिनांक 24.12.1958 v) एफ(पी)58/पीएन1/6 दिनांक 28.03.1959	01.04.1957 से 30.09.1959	रेलों पर पेंशन योजना शुरू करना
2.	i) पीसी60/आरबी-2/2 दिनांक 17.09.60 ii) -वही- 07.04.61 iii) -वही- 02.11.61 iv) -वही- 13.11.61	01.07.1959 से 31.12.1961	संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ते का विलयन (दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें)

3.	एफ(पी)62/पीएन1/2 26.10.62	दिनांक	01.09.1962 से 31.03.1963	से	पेंशन संबंधी लाभों का उदारीकरण
4.	एफ(पी)63/पीएन1/40 17.01.64 तथा 04.07.1964	दिनांक	17.01.1964 से 16.07.1964	से	कुटुंब पेंशन योजना शुरू करना
5.	एफ(पी)65/पीएन1/41 03.03.1966, 26.05.1966	दिनांक 27.04.1966,	31.12.1965 से 30.06.66	से	संयुक्त वार्ता तंत्र/ राष्ट्रीय परिषद की सिफारिश के अनुसरण में
6.	एफ(ई)III/68/पीएन1/2 13.09.1968 तथा 31.03.69	दिनांक	01.05.1968 से 31.03.69	से	-वही-
7.	एफ(ई)III/71/पीएन1/3 15.07.72	दिनांक	15.07.72 से 21.10.72	से	
8.	पीसीIII/73/पीएन1/3 23.07.74	दिनांक	01.01.1973 से 31.12.1978	से	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें-संवर्गों की पुनर्संरचना
9.	एफ(ई)III/79/पीएन1/4 23.08.1979 तथा दिनांक 01.09.80	दिनांक	31.03.79 तथा 22.02.81	तथा	पेंशन फार्मूला का उदारीकरण
10.	एफ(ई)III/82/पीएन1/7 04.10.82, 09.11.82, 13.05.83, 02.06.83	दिनांक	31.01.82 से 31.08.83	से	सेवानिवृत्ति लाभ के लिए वेतन के साथ अतिरिक्त मंहगाई भत्ता/विलयन
11.	एफ(ई)III/85/पीएन1/5 18.06.85	दिनांक	31.03.85 से 17.12.85	से	सेवानिवृत्ति लाभ के लिए वेतन के साथ शत प्रतिशत मंहगाई भत्ते/अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का विलयन
12.	पीसीIV/87/इम्प/पीएन1 08.05.87	दिनांक	01.01.1986 तथा 30.09.1987	तथा	चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

4. बोर्ड के दिनांक 8.5.1987 के पत्र सं. पीसीIV/87/इम्प/पीएन1 के अंतर्गत जारी पिछले पेंशन विकल्प संबंधी आदेश के अनुसार, अंशदायी भविष्य निधि के उन लाभार्थियों, जो 01.01.1986 को सेवा में थे और जो उक्त आदेश जारी होने की तारीख को भी सेवा में थे, को स्वतः पेंशन योजना में शामिल हुआ समझ लिया गया है, जब तक कि उन्होंने अंशदायी निधि योजना में बने रहने के लिए विशेष रूप से विकल्प न दिया होता। ऐसा विकल्प देने की अंतिम तारीख 30.9.87 थी।

5. समय-समय पर जारी पेंशन-विकल्प संबंधित सभी आदेश प्रत्येक आदेश में यथा- उल्लिखित विनिर्दिष्ट तारीखों से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए गए थे। उन कर्मचारियों, जो मध्यवर्ती अवधि में सेवानिवृत्त हो गए थे परंतु वे पेंशन योजना के लिए विकल्प देने के अन्यथा पात्र थे, को भी अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त पावने की राशि, वापस करने पर पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। इसी प्रकार उन मृतक कर्मचारियों के परिवारों, जो पेंशन योजना का विकल्प देने के पात्र थे, को भी अंशदायी भविष्य निधि

योजना के अंतर्गत प्राप्त पावने की राशि वापस करने पर पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया था।

6. कर्मचारियों को दिए गए ऊपर उल्लिखित बारह विकल्पों के अलावा, मृतक रेल कर्मचारियों के परिवारों को पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प देने के लिए अलग से निम्नलिखित आदेश भी जारी किए थे :-

1. एफ(ई)III/72/पीएन1/3 दिनांक 15.09.1972
2. एफ(ई)III/72/पीएन1/19 दिनांक 19.09.1972 और 18.12.72
3. एफ(ई)III/72/पीएन1/19 दिनांक 07.04.1975
4. एफ(ई)III/79/पीएन1/4 दिनांक 12.11.1979

7. उपर्युक्त आदेशों के अतिरिक्त, बोर्ड के दिनांक 07.10.1970 और 16.7.1971 के अंतर्गत भी अनुदेश जारी किए गए थे जिसके अनुसार, उन कर्मचारियों, जो भविष्य निधि योजना में शामिल थे और जो ड्यूटी पर कार्य करते समय चोट लगने के कारण मारे गए या मर गए थे, के परिवारों के पेंशन योजना में शामिल होने के अनुरोध पर भी गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया था। इसके अलावा, बोर्ड के दिनांक 16.7.85 के पत्र सं. एफ(ई).III 84 पीएन 1/17 के अंतर्गत उन रेल कर्मचारियों, जिनकी ड्यूटी पर कार्य करते हुए मृत्यु हो गई थी, के परिवारों को भी पेंशन योजना में शामिल किया जा सका था।

सामान्य नियम

भाग ख

पेंशन नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लाभ

पेंशन की राशि- (1) ऐसे रेल सेवक के मामले में, जो 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले पेंशन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहा है, के लिए सेवा उपदान का परिकलन सेवा अवधि में प्रत्येक संपूरित 6 माह के लिए आधे माह की परिलब्धियों की दर से किया जाएगा।

(2) अर्हक सेवा जो कि 10 वर्ष से कम की न हो पूरी करने के बाद पेंशन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवकों के मामले में, पेंशन की राशि परिलब्धियों अथवा औसत परिलब्धियों पर, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो, के 50% पर परिकलित की जाएगी जो न्यूनतम नौ हजार रुपए प्रति मास और अधिकतम एक लाख पच्चीस हजार रुपए प्रति मास होगी।

(न्यूनतम पेंशन के लिए प्राधिकार : बोर्ड का दिनांक 12.08.16 का पत्र सं.2016/एफ(ई)III/1(1)/8)

सेवानिवृत्ति उपदान अथवा मृत्यु उपदान - (1) ऐसे रेल सेवक के मामले में, जिसने पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, और पेंशन नियमों के तहत सेवा उपदान अथवा पेंशन के लिए पात्र बन गए हैं, को उसकी सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपदान संदत्त किया जाएगा जो अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूरित छह माह की अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के एक चौथाई के बराबर होगा किंतु यह उपदान उसकी परिलब्धियों का अधिक से अधिक साठे सोलह गुना होगा और उपदान परिकलित करने के लिए गणना करने योग्य परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। (ख) यदि सेवारत किसी रेल सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसके कुटुंब को मृत्यु उपदान की राशि का भुगतान नीचे दी गई तालिका के अनुसार किया जाएगा:-

अर्हक सेवा की अवधि	मृत्यु उपदान की दर
एक वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का दोगुना
एक वर्ष या अधिक किंतु पाँच वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का छः गुना
5 वर्ष या अधिक किंतु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का बारह गुना
11 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का बीस गुना
20 वर्ष या अधिक	अर्हक सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा परंतु अधिकतम परिलब्धियों का 33 गुना

(iv) सेवा उपदान- ऐसे रेल सेवक के मामले में, जो 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले पेंशन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहा है, सेवा उपदान की राशि का परिकलन सेवा अवधि में प्रत्येक संपूरित छ माह के लिए आधे माह की परिलब्धियों की दर से किया जाएगा।

अस्थायी कर्मचारियों के लिए पेंशन :

अस्थायी रेल सेवक को पेंशनी, सेवांत या मृत्यु होने पर लाभ - ऐसा अस्थायी रेल सेवक जो अधिवर्षिता पर या 10 वर्षों से अन्यून की अस्थायी सेवा करने के पश्चात समुचित चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा आगे रेल सेवा के लिए अस्थायी तौर पर असमर्थ घोषित हो जाने पर अधिवर्षिता, अशक्तता पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए उसी स्केल के अनुसार उपयुक्त होगा जो इन नियमों के अंतर्गत स्थायी रेल सेवक को अनुज्ञेय है।

कुटुंब पेंशन :-

जहां कि रेल सेवक की मृत्यु - (क) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के पश्चात हो जाती है; अथवा (ख) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के पूर्व हो जाती है परंतु यह तब जब संबद्ध मृतक रेल सेवक की सेवा या पद पर उसकी नियुक्ति से ठीक पूर्व समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा रेल सेवा के लिए उसे उपयुक्त घोषित किया गया हो; अथवा

(ग) सेवानिवृत्त होने के पश्चात हो जाती है और वह अपनी मृत्यु की तारीख को पेंशन या अनुकंपा भत्ते पर रहा है तो मृतक का कुटुंब, रेल सेवकों के लिए कुटुंब पेंशन योजना, 1964 के अधीन कुटुंब पेंशन का हकदार होगा, जो मूल वेतन के 30 प्रतिशत की समान दर पर निर्धारित की जाएगी। कुटुंब पेंशन की अधिकतम सीमा सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी अर्थात् दिनांक 01.01.2016 से 2,50,000/- रुपए होगी।

(प्राधिकार : बोर्ड का दिनांक 12.08.16 का पत्र सं. 2016/एफ(ई)III/1(1)/8)

पेंशन का संराशीकरण

पेंशन के संराशीकरण पर सीमा- (1) रेल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1993 में निहित प्रावधानों के अध्याधीन, एक रेल सेवक अपनी पेंशन के 40 प्रतिशत से अनधिक भाग को एकमुश्त भुगतान के लिए संराशीकृत करने का हकदार होगा।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.01.03 का पत्र सं. 2011/एफ(ई)III/1(2)/13)

संराशित पेंशन बहाल करना - पेंशन की संराशित राशि के संराशीकरण के कारण पेंशन में आई कमी की तारीख से पंद्रह वर्ष पूरा होने पर बहाल किया जाएगा।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.01.2013 का पत्र सं. 2011/एफ(ई)III/1(2)/13)

ऐसे पेंशनभोगी, जिसने अपनी पेंशन का एक भाग संराशीकृत करवाया है और दिनांक 01.04.1985 को अथवा सेवानिवृत्ति की तारीख से सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष पूरे कर लिए हों अथवा पूरे करेगा, की पेंशन की संराशीकृत राशि बहाल हो जाएगी।

अर्हक सेवा का प्रारंभ- इन नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, रेल सेवक की अर्हक सेवा उस तारीख से आरंभ होगी जिससे वह उस पर कार्यभार ग्रहण करता है, जिस पर वह अधिष्ठायी रूप से अथवा स्थानापन्न हैसियत में पहली बार नियुक्त हुआ था।

परिलब्धियां: - (क) "परिलब्धियां" पद से, विभिन्न सेवानिवृत्ति और मृत्यु प्रसुविधाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए, संहिता के नियम 1303 के खंड(1) में यथा-परिभाषित ऐसा मूल वेतन अभिप्रेत है जो रेल सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व या अपनी मृत्यु की तारीख को ले रहा था :

परंतु वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि सेवानिवृत्त प्रसुविधाओं की संगणना के लिए परिलब्धियां समझी जाएंगी ;

(ख) इन नियमों में "वेतन" से तात्पर्य - रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अंतर्गत संशोधित वेतनमानों में वेतन से है ;

औसत परिलब्धियां - औसत परिलब्धियां रेल सेवक की सेवा के अंतिम दस मास के दौरान उसके द्वारा ली गई परिलब्धियों के संदर्भ से निर्धारित की जाएंगी।

ऐसा रेल सेवक, जिसे सेवा से बर्खास्त अथवा हटा दिया गया है अथवा जिसने रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है, उस पर पेंशन संबंधी कोई भी लाभ लागू नहीं होंगे।

(प्राधिकार : दिनांक 05.08.77 का पत्र सं. एफ(ई)III/77/पीएन1/11)

रेल सेवक को बर्खास्त करने या हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यदि मामला ऐसा हो कि उस पर दिए गए मानदंडों के अध्याधीन विशेष विचार किया जा सकता हो तो ऐसी पेंशन या उपदान या दोनों की दो-तिहाई से अनधिक ऐसा अनुकंपा भत्ता मंजूर किया जा सकेगा जो उसे उस समय अनुज्ञेय होता जब वह क्षतिपूर्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त होता।

शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किए गए रेल सेवक को, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन या उपदान या दोनों ही की, जो उसे उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय हो, दो-तिहाई से अन्यून किंतु ऐसी पूरी पेंशन या उपदान से अनधिक हो, मंजूरी दी जा सकेगी।

पेंशन संबंधी लाभों से सरकारी या रेल देय धनराशियों की वसूली और समायोजन- (1) रेल या सरकारी आवास से संबंधित से भिन्न देय धनराशियों के लिए कार्यालय प्रधान रेल सेवक की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख से "एक वर्ष" पहले ही देय धनराशि निर्धारित करने हेतु कदम उठाए।

(1क) उपर लिखित रेल या सरकारी देय धनराशि का निर्धारण कार्यालय प्रधान द्वारा रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से 8 माह पहले पूरा कर लिया जाएगा।

(प्राधिकार : दिनांक 17.06.16 का पत्र सं. 2015/एफ(ई)III/1(1)/4)

(2) इस प्रकार अभिनिश्चित और निर्धारित ऐसे रेल या सरकारी देय धनराशियां जो रेल सेवक की सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख तक बकाया हैं, सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान या सेवांत उपदान की राशि से समायोजित की जाएगी और सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक से देय धनराशियों की वसूली नीचे दिए गए (4) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए, "रेल या सरकारी देय धनराशियां" अभिव्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) रेल या सरकारी आवास से संबंधित देय धनराशियां, जिसके अंतर्गत अनुज्ञति फीस का बकाया, साथ ही साथ हानि(आंबटिति की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद अनुमेय अवधि के बाद भी रेल अथवा सरकारी आवास के अधिभोग के लिए) यदि कोई हो, भी है ;

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 28.03.12 का पत्र सं. एफ(ई)III/2010/पीएनII/4)

(ख) ऐसी देय धनराशियां, जो रेल या सरकारी आवास से संबंधित नहीं हैं अर्थात् गृह निर्माण या वाहन या किसी अन्य अग्रिम का अतिशेष वेतन और भत्तों छुट्टी वेतन का अति संदाय या अन्य देय-धनराशियों जैसे डाकघर या जीवन बीमा प्रीमियम रेल सेवक की ओर से सेवा के दौरान उपेक्षा या कपट के परिणामस्वरूप सरकार या रेल विभाग को कारित हानियां (जिनके अंतर्गत भाड़ा प्रभार की कम वसूली और स्टोर सामान की कमी भी है)।

(4) (i) रेल सेवक के विरुद्ध कोई दावा निम्नलिखित में से सभी या किसी कारण से किया जा सकेगा :-

(क) रेल सेवक की ओर से सेवा के दौरान उपेक्षा या कपट के परिणाम स्वरूप सरकार या रेल विभाग को पहुंचाई गई हानियां (जिसके अंतर्गत भाड़ा प्रभार की कम वसूली और स्टोर सामान की कमी भी है) ;

(ख) अन्य सरकारी देय-धनराशियों जैसे मकान किराया, डाकघर या जीवन बीमा प्रीमियम या बकाया अग्रिम।

(ग) गैर-सरकारी देय-धनराशियां।

(ii) उपर्युक्त (i) के (क) में विनिर्दिष्ट हानियों की वसूली नियम 8 में अधिकथित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन, आवर्ती पेंशनों और उनके संराशीकृत मूल्यों में से भी जो पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) द्वारा शासित होते हैं, की जाएंगी। उपर्युक्त (i) की मद (क) के लेखे ऐसी वसूली जो पेंशन नियम के तहत नहीं की जा सकती और उपर्युक्त (i) की मद (ख) और (ग) के लेखे ऐसी कोई वसूली जो रेल सेवक की सहमति से भी इनमें से नहीं की जा सकती, उनकी वसूली सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवांत या सेवा उपदान में से जो पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) के अध्यक्षीन नहीं है, की जाएगी रेल सेवक की सहमति अभिप्राप्त किए बिना या किसी मृतक रेल सेवक के मामले में उसके कुटुंब के सदस्यों की सहमति प्राप्त किए बिना भी सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवांत या सेवा उपदान में से सरकारी देय-धनराशियों की वसूली अनुमेय है।

(iii) पेंशन संबंधी लाभों की मंजूरी किन्हीं बकाया सरकारी देय-धनराशियों की वसूली होने तक विलंबित नहीं की जाएगी। यदि मंजूरी के समय कोई देय-धनराशियां अनिर्धारित या अप्राप्त रह जाती हैं तो निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाएगी :-

- (क) उपरोक्त (i) के (क) में यथा उल्लिखित देय-धनराशियों के संबंध में, रेल सेवक से उपयुक्त रोकड़ जमा कराया जा सकता है या उपदान का उतना भाग जितना पर्याप्त समझा जाए तब तक रोका जा सकता है जब तक बकाया देय-धनराशियां निर्धारित और समायोजित नहीं की जाती।
- (ख) उपरोक्त (i) के (ख) में यथा उल्लिखित देय-धनराशियों की के संबंध में - (1) सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक से यह कहा जा सकता है कि वह किसी उपयुक्त स्थायी रेल सेवक की प्रतिभू प्रस्तुत करे। यदि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिभू स्वीकार्य है तो उसकी पेंशन या उपदान संदाय या वेतन के लिए अंतिम दावे आदि को रोका नहीं जाना चाहिए और प्रतिभू प्ररूप 2 में एक बंधपत्र पर हस्ताक्षर करेगा।
- (2) यदि सेवानिवृत्त होने वाला रेल सेवक प्रतिभू प्रस्तुत करने में असमर्थ या इच्छुक नहीं है तो उपरोक्त (iii) में यथा-विनिर्दिष्ट कार्रवाई की जाएगी।
- (3) प्रत्येक मामले में पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी राष्ट्रपति की ओर से 2 में प्रतिभू बंधपत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम होगा।
- (ग) ऊपरलिखित (i) के (ग) में यथा उल्लिखित देय-धनराशियों के संबंध में अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी देय धनराशियों जैसे किसी रेल सेवक द्वारा उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों, उपभोक्ता उधार सोसाइटियों को देय धनराशि या किसी रेल सेवक द्वारा प्रतिनियुक्ति के दौरान किसी स्वाशासी संगठन को देय-धनराशियां ऐसे सेवानिवृत्ति उपदान, जो सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक को संदेय हो गया है, से वसूल की जा सकती हैं बशर्ते कि वह प्रशासन को ऐसा करने की लिखित सहमति देता है।
- (iv) ऊपरलिखित (4) के (i) के (क) और (ख) में निर्दिष्ट सभी मामलों में, जो राशि सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक द्वारा जमा की जानी अपेक्षित हैं या जो उस संदेय उपदान में से रोक ली जाती है, अनानुपातिक रूप से अधिक नहीं होगी और ऐसी रकममें असम्यक लंबी अवधि के लिए नहीं रोकी जाएंगी या प्रतिभू असम्यक लंबी अवधि के लिए आबद्ध नहीं होंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाए :-
- (क) वह नकद निक्षेप जो लिया जाना है या उपदान की वह रकम जो रोकी जानी है, बकाया देय धनराशि की प्राक्कलित राशि और उसके पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ख) ऊपरलिखित 4 के (i) में उल्लिखित देय धनराशियों का संबंधित रेल सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर निर्धारण और समायोजन किया जाना चाहिए।
- (ग) इस बात का पता लगाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए कि किसी मांग की सूचना देने और उसे तैयार करने के समय संबंधित पदधारी की ओर से की गई उपेक्षा के कारण सरकार को कोई हानि न हुई हो। संबंधित पदधारी सरकारी देय धनराशियों का समय पर निर्धारण न करने के कारण अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होगा और इस प्रश्न पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या अवसूलीय राशि की वसूली को अधित्यक्त किया जाए या सरकारी देय धनराशियों का समय पर निर्धारण न करने के लिए उत्तरदायी ठहराए गए पदधारी से वसूली की जाए।
- (घ) जैसे ही पेंशन नियम में निर्दिष्ट प्रकृति की कार्यवाहियां प्रवर्तनशील हैं तो, उस प्राधिकारी जिसके द्वारा कार्यवाहियां की गई हैं उसके द्वारा अविलंब इस तथ्य की जानकारी लेखा अधिकारी को दी जाए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आमेिलित रेल कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ

किसी निगम, कंपनी या निकाय में अथवा उसके अधीन आमेिलित कर लिए जाने पर पेंशन-

ऐसे रेल सेवक के बारे में, जिसे किसी ऐसे निगम या कंपनी में या उसके अधीन, जो पूर्णतः या पर्याप्ततः केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेिलित किए जाने की अनुमति दे दी गई है तो यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख से सेवानिवृत्त हुआ है जिस तारीख से उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है और वह सेवानिवृत्ति लाभ यदि कोई हो, को उस पर लागू रेलवे के आदेशों के अनुसार निर्धारित/अवधारित ऐसी तारीख से प्राप्त करने का पात्र होगा।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.01.05 का पत्र सं. एफ(ई)III/2003/पीएन1/25)

स्पष्टीकरण - आमेिलन की तारीख -

(i) यदि कोई रेल कर्मचारी तत्काल आमेिलन के आधार पर किसी निगम या कंपनी अथवा निकाय में कार्यभार ग्रहण करता है, वह तारीख होगी जब से वास्तव में उस निगम या कंपनी अथवा निकाय में कार्यभार ग्रहण करता है,

(ii) यदि कोई रेल कर्मचारी रेल प्रशासन के अधीन धारणाधिकार रखते हुए अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रारंभ में निगम या कंपनी अथवा निकाय में कार्यभार ग्रहण करता है तो वह तारीख होगी जिससे उसका बिना शर्त त्यागपत्र रेल प्रशासन द्वारा स्वीकार किया जाता है।

(2) ऐसे रेल सेवक को (1) के उपबंध भी लागू होंगे जिसे ऐसे संयुक्त क्षेत्र/उपक्रमों में आमेिलित होने की अनुमति दी गई हो और जो पूर्णतः केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के अधीन है या दो या उससे अधिक राज्य सरकारों अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के अधीन है।

(3) जहां केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा वित्तपोषित निकाय में, जिसमें रेल सेवक को आमेिलित किया जाता है, कोई पेंशन स्कीम है तो वहां वह रेल प्रशासन के अधीन की गई सेवा की गणना रेल प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पेंशन के लिए उस निकाय में करने के विकल्प का प्रयोग करने अथवा रेल प्रशासन के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.09.13 का पत्र सं. 2011/एफ(ई)III/1(1)9)

स्पष्टीकरण :- निकाय से तात्पर्य- स्वायत्त निकाय अथवा कानूनी निकाय से है।

(क) एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पदभार ग्रहण करने की दृष्टि से रेल सेवा से इस्तीफे को सेवानिवृत्ति लाभ के दावे के लिए प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा और पर्याप्त माना जाए।

(प्राधिकार : दिनांक 21.09.66 का पत्र सं. एफ(ई)III/66/पीएन1/25)

(ख) आमेिलित रेल कर्मचारी के लिए उसके आमेिलन की तारीख से दो वर्ष के भीतर उसके इस्तीफे की स्थिति में, उसके निजी नियोजन का कार्य शुरू करने से पहले सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित था।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 18.02.1970 का पत्र सं. एफ(पी)/67/पीएन1/18)

(ग) आमेिलित रेल कर्मचारी को अधिकतम एक तिहाई तक पेंशन के भाग की संराशीकृत राशि को आयकर अदायगी से छूट दी गई थी। उन्हें जिन्होंने पेंशन के बदले एकमुश्त भुगतान के लिए विकल्प दिया था, एकमुश्त भुगतान को दो घटकों में रखा गया था

(i) पेंशन के एक तिहाई के सामान्य सीमा तक संराशीकृत मूल्य और

(ii) पेंशन के दो तिहाई के बराबर आवधिक लाभ जबकि संराशीकृत मूल्य की एक तिहाई राशि को आयकर से छूट दी गई थी और आवधिक लाभ घटक उस वर्ष के आय के रूप में प्रभाय था जिस वर्ष में वह देय था, तथापि

प्राप्तकर्ता को आयकर की बसूली के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्षों तक इस राशि को समान रूप से फैलाने की अनुमति दी गई थी।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आमेलन के विचार से इस्तीफे को सेवानिवृत्त माना गया था, आमेलित कर्मचारी को देय डीसीआरजी की राशि को आयकर से छूट दी गई थी।

(प्राधिकार : दिनांक 10.09.1971 का पत्र सं. एफ(पी)/67/पीएन1/18)

(ङ) आमेलित कर्मचारी को रेल पेंशन नियमों में यथा समाविष्ट कुटुंब पेंशन योजना 1964 के लाभ की अनुमति दिनांक 21.06.67 से दी गई थी बशर्ते कि वह पेंशन नियमों द्वारा शासित रहा हो और वह आमेलन की तारीख को पेंशन के लिए अन्यथा पात्र रहा हो। यह उस रेल कर्मचारी को अनुमेय नहीं था जो पेंशन के स्थान पर केवल सेवा उपदान के लिए पात्र था। रेलवे से कुटुंब पेंशन का लाभ तभी अनुमेय था जब सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत कुटुंब पेंशन स्वीकार्य न हो अथवा आमेलित कर्मचारी एक अथवा अन्य कारण से उपक्रम की कुटुंब पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आता हो।

प्राधिकार : दिनांक 29.01.76 का एफ(ई)III/75/पीएन1/15

दिनांक 24.08.78 का एफ(ई)III/78/पीएन1/18

दिनांक 26.12.85 का एफ(ई)III/85/पीएन1/25

(च) आमेलित रेल कर्मचारी को विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर अथवा तो रेलवे से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए विकल्प देने की अनुमति दी गई थी।

(प्राधिकार : दिनांक 21.02.1990 और 25.06.1992 का पत्र सं. एफ(ई)III/90/पीएन1/8)

(छ) स्थायी रेल सेवक जो राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों में प्रतिनियुक्त और बाद में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ऐसे संगठनों में स्थायी रूप से आमेलित रेल कर्मचारियों को 09.01.94 से केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त निकायों के अधीन स्थायी रूप से आमेलित रेल कर्मचारियों को यथास्वीकार्य, यथानुपात सेवानिवृत्ति लाभ की अनुमति दी गई है।

रेल कर्मचारियों को 31.03.87 से राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्रों के नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों में तत्काल आमेलन के आधार पर पदभार ग्रहण करना अपेक्षित है।

(प्राधिकार : दिनांक 25.06.84 का पत्र सं. एफ(ई)III/84/पीएन1/5 और दिनांक 16.03.93 का पत्र सं. एफ(ई)III/92/पीएन1/25)

(ज) यदि कोई रेल कर्मचारी जिसने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में किन्हीं पदों के लिए प्रेस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अपने आवेदन के आधार पर अपनी इच्छा से आवेदन किया था, उसे सेवानिवृत्ति लाभ सार्वजनिक हित में प्रतिनियुक्ति के बाद स्थायी रूप से आमेलित कर्मचारियों को अनुमेय अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान की भी अनुमति दी गई थी।

(प्राधिकार : दिनांक 02.08.1972 का पत्र सं. ई(एनजी)/72/एपी/12

दिनांक 05.12.1975 का पत्र सं. ई(एनजी)II/72/एपी/11

दिनांक 24.05.1978 का पत्र सं. ई(एनजी)III/77/एपी/19

रेलवे विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में परिवर्तित होने के फलस्वरूप आमेलन पर पेंशन के भुगतान की शर्तें

(1) रेलवे विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में परिवर्तन होने पर उस विभाग के सभी रेल सेवकों का सामूहिक रूप से उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थानांतरण विदेशी सेवा की शर्तों पर बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते पर, जब तक कि उनका उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन नहीं हो जाता, कर दिया जाएगा और ऐसे स्थानांतरित रेल सेवकों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन उस तारीख से माना जाएगा जो तारीख सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(2) सरकार द्वारा स्थानांतरित रेल सेवकों को रेलवे में वापस आने अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी रूप से आमेलित होने विकल्प दिया जाएगा।

- (3) उपरलिखित (2) में संदर्भित विकल्प प्रत्येक स्थानांतरित रेल सेवक द्वारा जैसा कि सरकार द्वारा तय किया गया है, के तरीके से एवं ऐसी अवधि के भीतर दिया जा सकता है।
 - (4) रेल सेवक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कर्मचारी के रूप में स्थायी आमेलन उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख से सरकार द्वारा उनका विकल्प स्वीकार किया जाएगा और उस स्वीकृति की तारीख को और से ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहेंगे और उन्हें रेल सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा।
 - (5) रेल सेवक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन हो जाने पर, उनके द्वारा आमेलन होने से पहले सरकार में ग्रहण किए हुए पद समाप्त माने जाएंगे।
 - (6) वह कर्मचारी जो रेल सेवा में प्रत्यावर्तित होने का विकल्प चुनेंगे उन्हें सरकार के अधिशेष सेल द्वारा पुनर्नियोजित किया जाएगा।
 - (7) स्थायीवत् और अस्थायी कर्मचारी, अनियत मजदूरों के अलावा, जो सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनेंगे, वे आमेलन की तारीख को और से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमों एवं विनियमों और उप-नियमों द्वारा शासित होंगे।
 - (8) एक स्थायी रेल सेवक जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी के रूप में आमेलित हो चुका है, का कुटुंब पेंशन के लाभ का हकदार होगा (पेंशन का संराशीकरण, उपदान, कुटुंब पेंशन अथवा असाधारण पेंशन सहित) जो उसकी रेल एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रदान की गई कुल सेवा के आधार पर, उसकी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के समय उस उपक्रम में पेंशन के लाभों की गणना के लिए लागू फॉर्मूला के अनुसार अथवा उसकी इच्छा पर रेलवे के अधीन प्रदान की गई सेवा के लाभों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परिकलित की जाएगी।
- स्पष्टीकरण : आमेलित कर्मचारी के संदर्भ में उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त होने पर अथवा उसकी मृत्यु होने पर पेंशन अथवा कुटुंब पेंशन उसी तरीके से परिकलित की जाएगी जैसा कि एक रेल सेवक की उसी दिन सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु होने पर परिकलित की जाएगी।
- (9) उपरोक्त (8) के अनुसार एक कर्मचारी की पेंशन लाभ अथवा औसत लाभ के पचास प्रतिशत, जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो, पर परिकलित की जाएगी।
 - (10) पेंशन अथवा परिवार पेंशन, जो भी मामला हो, के अतिरिक्त जो आमेलित कर्मचारी संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प लेगा वह औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई राहत का पात्र होगा।
 - (11) पेंशन अथवा कुटुंब पेंशन के लाभ स्थायीवत् अथवा अस्थायी रेल सेवक को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी हो जाने के बाद उपलब्ध होंगे।
 - (12) स्थायी रेल सेवक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित हो जाने पर अथवा अस्थायी अथवा स्थायीवृत्त रेल सेवक जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित हो जाने के बाद स्थायी हो गए हैं, वो सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिलाकर कुल 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण कर लेने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने हेतु पात्र हो जाएगा तथा ऐसा व्यक्ति अर्हक सेवा के आधार पर पेंशन के लाभों का पात्र होगा।
 - (13) सरकार एक ट्रस्ट के रूप में पेंशन निधि बनाए तथा आमेलित कर्मचारियों को ऐसी पेंशन निधि से पेंशन के लाभ प्रदान करे।

- (14) न्यासी मंडल के अध्यक्ष सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड होंगे, जिसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, श्रम, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उनके कर्मचारी तथा सरकार द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- (15) पेंशन निधि से दिए जाने वाले पेंशन के लाभ की मंजूरी एवं उसके संवितरण की प्रक्रिया एवं तरीके का निर्धारण सरकार द्वारा न्यासी मंडल की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।
- (16) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रेल सेवक के आमेलन की तारीख तक प्रदान की गई सेवा के लिए पेंशन अथवा सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए एकमुश्त भुगतान करके सरकार अपने पेंशन दायित्व का निर्वहन करेगी।
- (17) पेंशन के लाभों के भुगतान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने वित्तीय दायित्व की भागीदारी के तरीके का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा।
- (18) पेंशन की एकमुश्त राशि का निर्धारण रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 के परिशिष्ट में दी गई मूल्य तालिका के अनुसार किया जाएगा।
- (19) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित कर्मचारी द्वारा उस उपक्रम में दी गई सेवा के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर पेंशन निधि में पेंशन योगदान करेगा जिससे कि पेंशन निधि में मदद मिलेगी।
- (20) यदि, किसी भी वित्तीय अथवा प्रचालनिक कारणों से ट्रस्ट पेंशन फंड से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी कमी को पूरा करने की स्थिति में न हो तो सरकार ऐसे खर्चों का वहन करने के लिए दायी होगी तथा ऐसा खर्चा फंड अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को डेबिट किया जाएगा।
- (21) रेल विभाग के पेंशनभोगियों को पेंशन के लाभ का भुगतान उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में बदलने की तारीख से सरकार का कर्तव्य होगा तथा इस संबंध में उसके कर्तव्यों को बांटने का तरीका भी सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा।
- (22) रेल विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में परिवर्तित हो जाने पर –
- (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन हो जाने के बाद आमेलित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में शेष राशि को ऐसे उपक्रम की सहमति से उपक्रम के कर्मचारियों के नए भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा;
- (ख) आमेलन की तारीख तक कर्मचारियों के खाते में बचे अर्जित छुट्टी और अर्ध-वैतनिक छुट्टी ऐसे उपक्रम में स्थानांतरित हो जाएंगी;
- (ग) किसी भी कर्मचारी का उपक्रम में आमेलन हो जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से किसी भी कदाचार के कारण बर्खास्त अथवा हटाए जाने के बाद भी रेल में प्रदान की गई सेवा के सेवानिवृत्ति के लाभों को जब्त नहीं किया जाएगा और उसके बर्खास्तगी, हटाए जाने अथवा छंटनी हो जाने पर, उपक्रम के निर्णय की समीक्षा उपक्रम के साथ रेल मंत्रालय के अधीन होगी।
- (23) यदि सरकार किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से इक्यावन प्रतिशत अथवा उससे अधिक अपनी इक्विटी का विनिवेश कर लेती है, तब ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु वह पर्याप्त संरक्षण विनिर्दिष्ट करेगी।
- (24) उपरोक्त संरक्षण में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा उपक्रम में सेवा बहाली अथवा रेल सेवकों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों पर लागू नियमों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कर्मचारी के विकल्प के

अनुसार और अर्जित पेंशन के लाभों का आश्वासित भुगतान, अर्हक सेवा की अवधि में छूट के साथ, जैसा भी सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए, का विकल्प शामिल होना चाहिए।

रेलवे विभाग के केंद्रीय स्वायत्त निकाय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आमेलन पर पेंशन के भुगतान की शर्तें

- (1) रेलवे विभाग के स्वायत्त निकाय में परिवर्तन पर उस विभाग के सभी रेल सेवकों का सामूहिक रूप से उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थानांतरण विदेशी सेवा की शर्तों पर बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते पर, जब तक कि उनका उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन नहीं हो जाता, कर दिया जाएगा और ऐसे स्थानांतरित रेल सेवकों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन उस तारीख से माना जाएगा जो तारीख सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।
 - (2) सरकार द्वारा स्थानांतरित रेल सेवकों को रेलवे में वापस आने अथवा स्वायत्त निकाय में स्थायी रूप से आमेलित होने विकल्प दिया जाएगा।
 - (3) उपरलिखित (2) में संदर्भित विकल्प प्रत्येक स्थानांतरित रेल सेवक द्वारा जैसा कि सरकार द्वारा तय किया गया है के तरीके से एवं ऐसी अवधि के भीतर दिया जा सकता है।
 - (4) रेल सेवक का स्वायत्त निकाय में कर्मचारी के रूप में स्थायी आमेलन उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख से सरकार द्वारा उनका विकल्प स्वीकार किया जाएगा और उस स्वीकृति की तारीख को और से ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहेंगे और उन्हें रेल सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा।
 - (5) रेल सेवक का स्वायत्त निकाय में आमेलन हो जाने पर, उनके द्वारा आमेलन होने से पहले सरकार में ग्रहण किए हुए पद समाप्त माने जाएंगे।
 - (6) वह कर्मचारी जो रेल सेवा में प्रत्यावर्तित होने का विकल्प चुनेंगे उन्हें सरकार के अधिशेष सेल द्वारा पुनर्नियोजित किया जाएगा।
 - (7) स्थायीवृत्त और अस्थायी कर्मचारी, अनियत मजदूरों के अलावा, जो स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनेंगे वे आमेलन की तारीख को और से स्वायत्त निकाय के नियमों एवं विनियमों और उप-नियमों द्वारा शासित होंगे।
 - (8) एक स्थायी रेल सेवक जो स्वायत्त निकाय के कर्मचारी के रूप में आमेलित हो चुका है, का कुटुंब पेंशन के लाभ का हकदार होगा (पेंशन का संराशीकरण, उपदान, कुटुंब पेंशन अथवा असाधारण पेंशन सहित) जो उसकी रेल एवं स्वायत्त निकाय में प्रदान की गई कुल सेवा के आधार पर, उसकी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के समय उस उपक्रम में पेंशन के लाभों की गणना के लिए लागू फॉर्मूला के अनुसार अथवा उसकी इच्छा पर रेलवे के अधीन प्रदान की गई सेवा के लाभों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परिकलित की जाएगी।
- स्पष्टीकरण : आमेलित कर्मचारी के संदर्भ में उसके स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्त होने पर अथवा उसकी मृत्यु होने पर पेंशन अथवा कुटुंब पेंशन उसी तरीके से परिकलित की जाएगी जैसा कि एक रेल सेवक की उसी दिन सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु होने पर परिकलित की जाएगी।
- (9) एक कर्मचारी की पेंशन लाभ अथवा औसत लाभ के पचास प्रतिशत पर, जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो, परिकलित की जाएगी।
 - (10) पेंशन अथवा परिवार पेंशन, जो भी मामला हो, के अतिरिक्त जो कर्मचारी संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प लेगा वो औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई राहत के पात्र होगा।

- (11) पेंशन अथवा कुटुंब पेंशन के लाभ स्थायीवृत्त अथवा अस्थायी रेल सेवक को स्वायत्त निकाय में स्थायी हो जाने के बाद उपलब्ध होंगे।
- (12) सरकार एक ट्रस्ट के रूप में पेंशन निधि बनाए तथा आमेलित कर्मचारियों को ऐसी पेंशन निधि से पेंशन के लाभ प्रदान करे।
- (13) न्यासी मंडल के अध्यक्ष सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड होंगे, जिसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, श्रम, संबंधित स्वायत्त निकाय और उनके कर्मचारी तथा सरकार द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- (14) पेंशन निधि से दिए जाने वाले पेंशन के लाभ की मंजूरी एवं उसके संवितरण की प्रक्रिया एवं तरीके का निर्धारण सरकार द्वारा न्यासी मंडल की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।
- (15) सरकार स्वायत्त निकाय में रेल सेवक के आमेलन की तारीख तक प्रदान की गई सेवा के लिए पेंशन अथवा सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए एकमुश्त भुगतान करके सरकार अपने पेंशन दायित्व का निर्वहन करेगी।
- (16) पेंशन के लाभों के भुगतान में स्वायत्त निकाय द्वारा अपने वित्तीय दायित्व की भागीदारी के तरीके का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा।
- (17) पेंशन की एकमुश्त राशि का निर्धारण रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 के परिशिष्ट में दी गई मूल्य तालिका के अनुसार किया जाएगा।
- (18) स्वायत्त निकाय के संबंधित कर्मचारी द्वारा उस उपक्रम में दी गई सेवा के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर पेंशन निधि में पेंशन योगदान करेगा जिससे कि पेंशन निधि में मदद मिलेगी।
- (19) यदि, किसी भी वित्तीय अथवा प्रचालनिक कारणों से, ट्रस्ट पेंशन फंड से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम है तथा स्वायत्त निकाय भी कमी को पूरा करने की स्थिति में न हो तब सरकार ऐसे खर्चों का वहन करने के लिए दायी होगी तथा ऐसा खर्चा फंड अथवा स्वायत्त निकाय को डेबिट किया जाएगा।
- (20) रेल विभाग के पेंशनभोगियों को पेंशन के लाभ का भुगतान उसके स्वायत्त निकाय में बदलने की तारीख से सरकार का कर्तव्य होगा तथा इस संबंध में उसके कर्तव्यों को बांटने का तरीका भी सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा।
- (21) रेलवे विभाग के स्वायत्त निकाय में परिवर्तित हो जाने पर –
- (क) स्वायत्त निकाय में आमेलन हो जाने के बाद आमेलित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में शेष राशि को ऐसे उपक्रम की सहमति से उपक्रम के कर्मचारियों के नए भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा;
- (ख) आमेलन की तारीख तक कर्मचारियों के खाते में बचे अर्जित छुट्टी और अर्ध-वैतनिक छुट्टी ऐसे उपक्रम में स्थानांतरित हो जाएंगी;
- (ग) किसी भी कर्मचारी का उपक्रम में आमेलन हो जाने के बाद स्वायत्त निकाय की सेवा से किसी भी कदाचार के कारण बर्खास्त अथवा हटाए जाने के बाद भी रेल में प्रदान की गई सेवा के सेवानिवृत्ति के लाभों को जब्त नहीं किया जाएगा और उसके बर्खास्तगी, हटाए जाने अथवा छंटनी हो जाने पर, उपक्रम के निर्णय की समीक्षा उपक्रम के साथ रेल मंत्रालय के अधीन होगी।

(22) यदि सरकार किसी भी स्वायत्त निकाय से इक्यावन प्रतिशत अथवा उससे अधिक अपनी इक्विटी का विनिवेश कर लेती है, तब ऐसे स्वायत्त निकाय आमेलित कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु वह पर्याप्त संरक्षण विनिर्दिष्ट करेगी।

(23) उपरोक्त (22) में विनिर्दिष्ट संरक्षण में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा उपक्रम में सेवा बहाली अथवा रेल सेवकों अथवा स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों पर लागू नियमों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कर्मचारी के विकल्प के अनुसार और अर्जित पेंशन के लाभों का आश्वासित भुगतान, अर्हक सेवा की अवधि में छूट के साथ, जैसा भी सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए, का विकल्प शामिल होना चाहिए।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.09.13 का पत्र सं. 2011/एफ(ई) III/1(1)9)

रेलों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के बीच यथानुपात सेवानिवृत्ति का लाभ आदेशों के उसी सेट द्वारा शासित है जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किसी रेल कर्मचारी के आमेलन के लिए लागू होते हैं। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, स्वायत्त निकायों के वैज्ञानिक कर्मचारियों के मामले को छोड़कर, जिन्हें रेलों पर पेंशन के लिए सेवा की गणना के लाभ की अनुमति दी गई है, केंद्रीय सरकार के बाहर की गई सेवा को रेलों पर पेंशन के लिए नहीं गिना जाएगा। सरकार ने निर्णय किया है कि, 29.08.84 से रेलों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के बीच और विलोमतः सेवानिवृत्ति लाभ के लिए सेवा की गणना की अनुमति दी जाए।

(प्राधिकार : दिनांक 25.09.84, 08.04.85 का पत्र सं. एफ(ई)III/84/पीएन1/4)

सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को यथासमय पेंशन संबंधी लाभ के भुगतान के लिए अपनाए जाने वाले आदेश एवं प्रक्रिया

पेंशन संबंधी लाभ के भुगतान की स्वीकृति में विलंब के कारण सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को परेशानी होती है। अतः यह अति आवश्यक है कि पेंशन संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने वाले प्राधिकारियों को चाहिए कि वे उस पर शीघ्र कार्रवाई करें ताकि लाभ पाने वाले को नियत तारीख पर उसका देय प्राप्त हो। जब स्वीकृति में विलंब की संभावना हो तो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख अथवा रेल कर्मचारी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर अनंतिम पेंशन/उपदान अथवा कुटुंब पेंशन/मृत्यु उपदान, जैसा भी मामला हो, दिया जा सकता है। संबंधी लाभ की स्वीकृति देने के लिए ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया और साथ ही अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा, जिसे समय-समय पर जारी किया गया है, नीचे दिए गए हैं :-

- i दिनांक 08.04.76 का पत्र सं. एफ(ई)III/76/पीएन1/3
- ii दिनांक 15.10.76 का पत्र सं. एफ(ई)III/76/पीएन1/3
- iii दिनांक 19.11.76 का पत्र सं. ई (जी)III/76/पीएन1/25
- iv दिनांक 01.09.1979 का पत्र सं. एफ(ई)III/79/पीएन1/3
- v दिनांक 06.03.1987 का पत्र सं. एफ(ई)III/87/पीएन1/2
- vi दिनांक 19.08.87 का पत्र सं. एफ(ई)III/87/पीएन1/2

2. दिनांक 08.04.1976 के आदेश में अधिवर्षिता पेंशन के भुगतान के लिए पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य शुरू करने के लिए समय सारणी, अर्हक सेवा निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया, औसत परिलब्धियां, असाधारण छुट्टियों का प्रतिपादन, निलंबन की अवधि, सेवा-भंग, प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि, पेंशन की मंजूरी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता से छुटकारा, जहां सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध न हो वहां अनंतिम पेंशन के भुगतान के लिए प्रक्रिया, सरकारी देय का समायोजन आदि निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार दिनांक 01.09.1979 के आदेश में उन कर्मचारियों जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, के परिवारों को पेंशन संबंधी लाभ देने संबंधी मामलों को अंतिम रूप देने के लिए ब्यौरे निर्धारित किए गए हैं।

3. सभी मामलों में, संबंधित रेल कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर वसूली योग्य बकाया राशि का आकलन करने तथा उसे समायोजित करने के प्रयास किए जाते हैं। यदि रेल कर्मचारी किसी वाणिज्यिक नामे में शामिल है तो उसकी सेवानिवृत्ति के 15 माह के भीतर और यदि शामिल नहीं है तो 6 माह के भीतर उसके खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाता तो ऐसे मामले में उस रेल कर्मचारी को दावामुक्त माना जाए।

सेवानिवृत्त होने वाले वाणिज्यिक कर्मचारियों के मामले में, 01.08.88 से उपदान के भुगतान के लिए 15 महीने की सीमा घटाकर 6 महीने कर दी गई है जिसे 30.12.91 से घटाकर 3 महीने कर दिया गया है।

(रेल पेंशन नियमावली का पैरा 323(iv)(ख) और बोर्ड का दिनांक 17.11.87 तथा 30.12.91 का पत्र सं. एफ(ई)III/87/पीएन1/1)

4. जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अधिवर्षिता की आयु से पहले हो तो ऐसे मामलों में पेंशन संबंधी लाभ का भुगतान करने के लिए प्रक्रिया का ब्यौरा बोर्ड के दिनांक 19.11.76 के पत्र सं. ई(जी)/76/पीएन1/25 में दिया गया है।